सुगनचन्द वगै० बनाम रामजीलाल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु०नं० 401/2015	
12-2-18	दिनांक 10-2-18 से अवकाश होने पर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर/अन्य कार्य में व्यस्त/मोहलत है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-4-18 को पेश हो।	
11-4-18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर/अन्य कार्य में व्यस्त/मोहलत है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-5-18 को पेश हो।	
15-5-18	पत्रावली दिनांक 27.6.18 को RLA कैम्प कोटड़ी सिमारला में पेश हो।	

सुगनचन्द वगै० बनाम् रामजीलाल वगै०
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं० 401/2015

27.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कोटड़ी सिमारला में पेश हुई। प्रकरण में वादीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी न. 1 व 3 से 5 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ता 5 की ओर से ईकबाली जवाब दावा वादीगण के पक्ष में पेश कर दिया है। प्रतिवादी न. 6 की ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। वादीगण के

सुगनचन्द शर्मा
पूरणमल शर्मा
अ. निशानी भारसी
महेश कुमार शर्मा
रामपाल
बिजेन्द्र कुमार
बनवारीलाल

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान .... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... मुकदमा नं. .... सन् 2015 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवेदन पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 513, 514, 530, 531 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला में स्थित है। पक्षकारान् पक्षकारान् एक ही परिवार के है। पक्षकारान् के बुर्जुगान् 45 वर्षो से उक्त भूमियों पर काबिज थे तथा वर्तमान में ग्राम ढ़ाबावाली में जितने भी खण्डेलवाल ब्राह्मण व्यक्ति है वे सभी एक ही परिवार के है। समयानुसार पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सुविधानुसार जमीनों का बाहमी बटंवारा कर रखा है तथा भाई बंटवारे अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 513, 514, 530, 531 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी सिमारला में में खसरा नम्बर 513 रकबा 0.7500 में बट्टा नम्बर डालकर 0.6250 हैक्टर वादी सं. 1 ता 3 के तथा खसरा नम्बर 513 का शेष रकबा 0.1250 हैक्टर बट्टा नम्बर डालकर व 514 रकबा 0.75 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 530 रकबा 0.87 हैक्टर सम्पूर्ण वादी संख्या 9 के तथा 531 रकबा 0.59 हैक्टर वादी संख्या 4 ता 8 के हक हिस्से में है। पक्षकारान् उक्त भूमियों को अर्सा करीब 45 वर्षो से काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्तियों से उक्त भूमियों का किसी प्रकार का हक हिस्सा किसी किस्म का नहीं है। उक्त भूमियों को 45 वर्षो से लगातार काश्त करने से वादीगण उक्त भूमियों के विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी हक अधिकार बनने के अधिकारी हो चूके है तथा	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

सुगनचन्द वगै0 बनाम् रामजीलाल वगै0
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 401/2015

उक्त भूमियों पर काफी रूपये खर्च कर उपजाउ एंव समतल बनाया है। उक्त भूमियों की खातेदारी यदि स्वंय के नाम से नहीं करवा पाते है तो वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी होती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक होने से वादपत्र पेश किया जाकर इसी अनुसार घोषणा किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया है। वादीगण ने प्रतिवादी को विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पहले तो वादी को हॉ करते रहे परन्तु दिनांक 11.11.2015 को स्पष्ट इन्कार होने पर दावा पेश करने लाजिम आया है। वकील वादीगण ने उक्तानुसार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादीगण ने वादपत्र में किया है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में वादी नं. 1,2, 4, 6 ता 13 एंव प्रतिवादी 1 व 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है एंव प्रतिवादीगण 3 ता 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी व खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 513, 514, 530, 531 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029, आधार वर्ष सम्वत् 2042 में नून्दा पुत्र ज्यानकीलाल जाति ब्राह्मण के नाम एंव वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 नून्दा के फौत होने पर उसके वारिसान् जो वादपत्र में प्रतिवादीगण है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में सजरा पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि पक्षकारान् एक ही सजरा खानदान से होकर एक ही परिवार के सदस्य हो एंव उक्त वादग्रस्त भूमियॉ उनकी मौरूसी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुये

सुगनचन्द वगै0 बनाम् रामजीलाल वगै0
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 401/2015

पैत्रृक भूमियॉ हों। पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने मात्र से किसी भूमि को पैत्रृक होना नहीं माना जा सकता। वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमियों पर 45 वर्षो से काबिज काश्त होना अंकित किया है एंव उक्त भूमियों पर विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी हक अधिकार बनने के अधिकारी होने बाबत अवगत कराया है परन्तु राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से काबिज काश्त होना प्रमाणित नहीं होता है एंव प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकतें। जबकि वादीगण द्वारा उक्त भूमियों पर अपना पिछले 45 साल से कब्जा होना बताया गया है तथा उसी आधार पर वादीगण द्वारा जरिये उद्घोषणा उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने की इस्तदुआ चाही गई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त प्रकरण खातेदारी उद्घोषणा का न होकर खातेदारी हस्तानान्तरण का पाया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा आपसी समझौता / राजीनामा पेश करने से प्रस्तुत वाद पत्र को वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने की शर्त पर वाद स्वीकार योग्य है।

अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 513, 514, 530, 531 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर में पक्षकारान् वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष में वर्णित भूमियों की वर्तमान प्रचलित बाजार दर के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करावें तो खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड की जावें एंव प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे। राशि राजकोष में जमा होने पर ही तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

सुगनचन्द वगै0 बनाम् रामजीलाल वगै0
दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 401/2015

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कोटड़ी सिमारला में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प– कोटड़ी सिमारला

Scanned by CamScanner